



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-05012022-232425
CG-GJ-E-05012022-232425

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]
No. 3]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 4 जनवरी, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021

आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रिग्यु020.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और धारा 13 के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 (जिन्हें इसमें से पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है, के विनियम 13 के उप-विनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(6) आई.आई.आई.ओ. प्राधिकरण को, अपने कानूनी लेखापरीक्षक, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत में व्यवसायरत किसी कंपनी सचिव, भारत में व्यवसायरत किसी लागत लेखाकार या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके पास प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समुचित अर्हता है, जारी किया गया समादत्त पूंजी और शुद्ध संपत्ति प्रमाणपत्र, छमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा।”

3. मूल विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) बीमा मध्यवर्ती, लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत में व्यवसायरत किसी कंपनी सचिव, भारत में व्यवसायरत किसी लागत लेखाकार या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके पास प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समुचित अर्हता है, इन विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा।”

4. मूल विनियमों में, अनुसूची-VI के प्ररूप-ख के स्तंभ (2) के क्रम संख्यांक 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए., आदि से प्रमाणपत्र:

भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत में व्यवसायरत किसी कंपनी सचिव, भारत में व्यवसायरत किसी लागत लेखाकार या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समुचित अर्हता है, इस बात की पुष्टि करने वाला एक प्रमाणपत्र दें कि आवेदक द्वारा सभी लागू विनियमनकारी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।”

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./559/2021-22]

टिप्पण: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, आसाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन.रेग्यु-017 द्वारा, तारीख 20 अक्तूबर, 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 4th January, 2022

International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) (Amendment) Regulations, 2021

IFSCA/2021-22/GN/REG020 — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with Section 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following Regulations to amend the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021 namely:-

1. Short title and commencement:-

(1) These Regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the ‘Principal Regulations’) sub-regulation (6) of regulation 13 shall be substituted by the following, namely –

(6) “*The HHO shall submit to the Authority a paid-up capital and net-worth certificate issued by its statutory auditor, a practicing Chartered Accountant in India, a practicing Company Secretary in India, a practicing Cost Accountant in India or any other person with appropriate qualification, as specified by the Authority, on half yearly basis.*”

3. Sub regulation (3) of regulation 22 in the Principal Regulations shall be substituted by the following, namely -

(3) “*An insurance intermediary shall, along with the audited accounts, furnish a certificate by a practicing Chartered Accountant in India, a practicing Company Secretary in India, a practicing Cost Accountant in India or any other person with appropriate qualification, as specified by the Authority, confirming compliance with these regulations.*”

4. Serial No. 12, column (2) of FORM- B of SCHEDULE – VI in the Principal Regulations shall be substituted by the following, namely –

“Certificate from CA/CS/CMA, etc.:

Provide a certificate from a practicing Chartered Accountant in India, a practicing Company Secretary in India, a practicing Cost Accountant in India or any other person with appropriate qualification, as specified by the Authority, confirming that all applicable regulatory requirements have been complied with by the Applicant.”

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./559/2021-22]

Note: The International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2021-22/GN/REG-017 on 20th October, 2021.